अनुदान संख्या 34 – प्रत्यक्ष कर
GRANT No. 34 -DIRECT TAXES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	8180,34,00	8206,89,00	7484,94,61	-721,94,39
पूरक	Supplementary	26,55,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				652,05,67
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	352,00,00	352,05,00	215,47,00	-136,58,00
पूरक	Supplementary	5,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				118,68,53

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹72194.39 लाख) मार्च, 2022 में प्राप्त किए गए ₹2655.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 9 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईंः-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹72194.39 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹2655.00 lakhs obtained in March, 2022 and constituted 9 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2020" आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण	Major Head "2020" Collection of Taxes on Income and Expenditure				
मू.	O.	797583.00			
पू.	S.	2655.00	735032.33	729797.86	-5234.47
पु.	R.	-65205.67			

(I) "संग्रहण प्रभार - आयकर - आयुक्त और उनके कार्यालय'' के अंतर्गत - ₹691204.82 लाख के मूल प्रावधान को ₹2655.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹693859.82 लाख किया गया। तथापि, ₹15736.91 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – रिक्त पदों को न भरे जाने, महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान न होने, एमटीएनएल/बीएसएनएल के साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप न दिए जाने, कैंपस प्रशिक्षण कम होने, छुट्टी यात्रा रियायत, किए गए दौरों, वकीलों के दावों, आईटी उपकरणों की अधिप्राप्ति, छुट्टी नकदीकरण दावों, प्रकाशन कार्यकलापों, अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का आयोजन न होने तथा रिवार्ड कार्यवाहियों का कम निपटान होने के संबंध में कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(I) Under "Collection Charges-Income Tax - Commissioners and their offices"- the original provision of ₹691204.82 lakhs was augmented to ₹693859.82 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2655.00 lakhs. However, there was a saving of ₹15736.91 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, non-payment of dearness allowance arrear, non-finalization of MOU with MTNL/BSNL, less on campus training, requirement of less funds towards leave travel concession, tours undertaken, claims of counsels, procurement of IT peripherals, leave encashment claims, publishing activity, conduction of international course and less settlement of rewards proceedings.

(II) "निदेशन और प्रशासन'' के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(II) Under "Direction and Administration" – savings occurred under the following heads:-

(का) "अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रकाशन'' – ₹4615.75 लाख की बचत (₹8279.79 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान न होने, कम प्रकाशन तथा विज्ञापन कार्यकलाप होने और कार्यालय संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(A) "Research Statistics and Publication"- saving of ₹4615.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8279.79 lakhs) was due to non-payment of dearness allowance arrear, less publication and advertising activities and requirement of less funds towards other office related expenses.

(खा) ''संगठन और प्रबंधन सेवाएं'' – ₹47325.52 लाख की बचत (₹87272.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आईटी परियोजना को अनुमोदन न मिलने, लंबित औपचारिकताओं की वजह से कुछ परियोजनाओं के पूरा न होने तथा कार्यालय खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता औरे कम सेमिनार/सम्मेलन/बैठकें आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''आसूचना'' – ₹2027.84 लाख की बचत (₹11583.85 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, छुट्टी नकदीकरण के कम दावे प्राप्त होने, महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान न होने, छुट्टी यात्रा रियायत, किए गए दौरों और कोविड–19 महामारी की वजह से अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) ''संग्रहण प्रभार – आयकर'' – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुईं:–

(का) ''आयकर तथा धन कर मामलों संबंधी समझौता आयोग'' – ₹721.89 लाख की बचत (₹2557.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान न होने, किराए में वृद्धि न होने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति, किए गए दौरों और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(खा) ''प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के क्षेत्रीय लेखा कार्यालय'' – ₹1128.55 लाख की बचत (₹10387.77 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान न होने और किए गए दौरों तथा अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

(B) "Organisation and Management Services"- saving of ₹47325.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹87272.50 lakhs) was due to non-finalisation of approval of IT project, non-completion of some of the projects owing to pending formalities, requirement of less funds towards office expenses and conduction of less seminars/conferences/meetings.

(C) "Intelligence" – saving of ₹2027.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11583.85 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less claims towards leave encashment, non-payment of dearness allowance arrear and requirement of less funds towards leave travel concession, tours undertaken and other establishment related expenses owing to COVID-19 pandemic.

(III) Under "Collection Charges-Income Tax" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Settlement Commission for Income Tax and Wealth Tax Cases" – saving of ₹721.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2557.20 lakhs) was due to non-payment of dearness allowance arrear, non-revision of rent and requirement of less funds towards medical re-imbursements, tours undertaken and other establishment related expenses.

(B) "Zonal Accounts Offices of Principal Chief Controller of Accounts" - saving of ₹1128.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10387.77 lakhs) was due to non-payment of dearness allowance arrear and requirement of less funds towards tours undertaken and other establishment related expenses.

2. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	22511.00			
पू.	S.	3.00	11148.00	10216.13	-931.87
पु.	R.	-11366.00			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	12489.00			
पू.	S.	2.00	11989.49	11140.27	-849.22
पु.	R.	-501.51			

(I) ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "4059'' – "कार्यालय भवन – निर्माण – आयकर विभाग के लिए भूमि का अधिग्रहण और कार्यालय भवन निर्माण'' के अंतर्गत – ₹12571.67 लाख की बचत (जुलाई ,2021 और मार्च,2022 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹22512.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कुछ परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों का इस्तेमाल न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4059" - "Office Buildings – Construction - Acquisition of Land & Construction of Office Building for Income Tax Department"- saving of ₹12571.67 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹ 22512.00 lakhs including token supplementary grants of ₹2.00 lakhs obtained in July, 2021 and March, 2022) was due to non- finalisation of some of the projects and non-utilisation of funds by executing agencies owing to COVID-19 pandemic.

(III) मुख्य शीर्ष "4216'' – "सरकारी आवासीय भवन – आयकर कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन – आयकर विभाग के लिए भूमि का अधिग्रहण और आवासीय भवन का निर्माण'' के अंतर्गत – ₹1349.73 लाख की बचत (दिसम्बर,2021 और मार्च,2022 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹12490.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों का इस्तेमाल न किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – Residential Buildings for Income Tax Employees - Acquisition of Land & Construction of Residential Building for Income Tax Department"- saving of ₹1349.73 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹12490.00 lakhs including token supplementary grants of ₹2.00 lakhs obtained in December, 2021 and March, 2022) was due to non-utilisation of funds by executing agencies.

3. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹273.81 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि दिसंबर, 2021 में मुख्य शीर्ष "4059" – "कार्यालय भवन – तैयार आवासों का अधिग्रहण" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹273.80 लाख था।

3. The above savings were partly (₹273.81 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2021 under Major Head "4059" - "Office Buildings - Acquisition of Ready Built Accommodation." Actual excess, however, was ₹273.80 lakhs.